



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 1040 / 2012 जिला जयपुर

उनवान-1. सुनील कुमार जैन पुत्र श्री फूलचन्द जैन, 34-35, रूप विहार कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, मैसर्स आई.बी.पी. कम्पनी जरिये पॉवर ऑफ अर्टनी होल्डर श्री राकेश जैन, ए-4, पंचशील मार्ग, हरी मार्ग, सिविल लाईन्स, जयपुर बना उप-पंजीयक कोटखावदा, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.2015	<p><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u></p> <p>प्रार्थी की ओर से श्री विक्रय गोगरा व विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद प्रस्तुत निगरानी पर बहस हेतु दिनांक 29.12.2014 को उपस्थित हुये।</p> <p>प्रार्थी की ओर से श्री विक्रय गोगरा ने श्री नितिन सर्राफ द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विदग्धा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद ने इस संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विदग्धा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विदग्धा करने के कारण, प्रस्तुत निगरानी "सारहीन" हो जाने के कारण खारिज की जाती है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  5.1.2015 (मदन लाल) सदस्य </div> <div style="text-align: center;">  (सुनील शर्मा) सदस्य </div> </div>	